



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.05.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 22.04.2018 को अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 154/2018 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 11.07.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 30.05.2025 में अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री जयपाल सिंह एवं पैरोकार का0 अजय कुमार व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

